



# कार्यालय समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2026

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



क्र.सं. : वमखुवि / PTET / 2026 /49

दिनांक : 18/02/2026

## अधिसूचना-1/2026

### प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट (पी.टी.ई.टी.)-2026 (2 वर्षीय बी.एड. प्रवेश परीक्षा)

राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट [ptetvmoukota2026.in](http://ptetvmoukota2026.in) पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लेवें।

क्र.सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	20.02.2026
2.	आवेदन की अंतिम तिथि	20.03.2026
3.	प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि	14.06.2026 (रविवार)

प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क:- 500/-

दूरभाष : 9116828238

ई-मेल आईडी [helpdeskptet2026@vmou.ac.in](mailto:helpdeskptet2026@vmou.ac.in)


समन्वयक

पी.टी.ई.टी.-2026



पी.टी.ई.टी. - 2026

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



प्रवेश दिशा -निर्देशिका

2 वर्षीय बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2026

प्रो. बी.एल.वर्मा

मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ.रवि गुप्ता  
सह-समन्वयक

प्रो.क्षमता चौधरी  
समन्वयक

कार्यालय

समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2026  
गार्गी भवन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)-324010

दूरभाष : 9116828238

वेबसाइट : [ptetvmoukota2026.in](http://ptetvmoukota2026.in) Email- ID: [helpdesktet2026@vmou.ac.in](mailto:helpdesktet2026@vmou.ac.in)



# कार्यालय समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2026

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



क्र.सं. वमखुवि /PTET/2026/49

दिनांक 18/02/2026

## अधिसूचना-1/2026

### प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट (पी.टी.ई.टी.)-2026 (2 वर्षीय बी.एड. प्रवेश परीक्षा)

राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट [ptetvmoukota2026.in](http://ptetvmoukota2026.in) पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लेवें |

क्र.सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	20.02.2026
2.	आवेदन की अंतिम तिथि	20.03.2026
3.	प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि	14.06.2026 (रविवार)

प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क:- 500/-

दूरभाष : 9116828238

ई-मेल आईडी [helpdeskpptet2026@vmou.ac.in](mailto:helpdeskpptet2026@vmou.ac.in)

समन्वयक  
पी.टी.ई.टी.-2026

## पी.टी.ई.टी. परीक्षा-2026 हेतु सामान्य नियम एवं मार्गदर्शन

राजस्थान राज्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पत्र क्रमांक.प.10(3) शिक्षा-4/2016-00224 (Rajkaj Ref No.:20298563) दिनांक 03/02/2026 द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में 2 वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा (पीटीईटी-2026) आयोजित करने के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को समन्वयक एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक एवं समय पर राजस्थान राज्य के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, जिनके लिए सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

1. राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में 2 वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2026 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम दिनांक तक आवेदन कर सकेंगे।

2. आवेदक हेतु पात्रता :

(क) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / मानविकी वर्ग में न्यूनतम 50 % (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता के साथ कुल मिलाकर कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले या उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। [एनसीटीई (मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम, 2014 के परिशिष्ट-4 के अनुसार - भारत के राजपत्र में अधिसूचित]

(ख) अनुसूचित जाति /जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग /पी. डब्ल्यू. डी. और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण तथा अंकों में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी। (वर्तमान में उपरोक्त वर्गों के लिए यह छूट 5% है अर्थात् उपरोक्त वर्गों के लिए कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / मानविकी वर्ग में न्यूनतम 45% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता के साथ कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले या उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।)

(a) Candidates with at least fifty percent marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's Degree in Sciences/Social Sciences/ Humanity, Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme. [As per Appendix-4 of NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 – Notified in the Gazette of India]

(b) The reservation and relaxation for SC/ST/OBC/MBC/PWD and other categories shall be as per the At present, a relaxation of 5% is applicable for the above-mentioned categories. Accordingly, candidates belonging to the above categories who have obtained a minimum of 45% marks in the

Science / Social Science / Humanities stream in a Bachelor's or Master's degree awarded by a university established by law shall be eligible for admission to the programme. Candidates who have obtained a Bachelor's degree in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics and have secured at least 50% marks in aggregate, or possess any other equivalent qualification as specified above, shall also be eligible for admission to this programme.

3. इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री धारी अभ्यर्थी को सम्बंधित विश्वविद्यालय से विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसी प्रकार समतुल्य कोई अन्य अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सक्षम स्तर से जारी समतुल्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./शिक्षा शास्त्री/ परीक्षा के अन्तिम वर्ष या एम.ए./एम.कॉम/एम.एस.सी./आचार्य के अन्तिम वर्ष के अभ्यर्थी भी पी.टी.ई.टी.-2026 परीक्षा हेतु योग्य हैं, बशर्ते वे काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व अर्हता अभ्यर्थी का परिणाम घोषित हो गया है एवं उपरोक्त बिंदुओं अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त किए गए हो।
5. अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते हुए अपनी श्रेणी, संकाय व लिंग आदि सभी सूचनाएँ सही व ध्यानपूर्वक भरें, इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा अभ्यर्थी केवल स्वयं के एवं वैध मोबाईल नं. एवं वैध ईमेल एड्रेस ही अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
6. बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण विषय आवश्यक है :-
  - i. शिक्षण विषय (Teaching Subject) का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी ने अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर परीक्षा में लिये गये वैकल्पिक विषय से है जो कि अभ्यर्थी ने इन विषयों को दो वर्षों तक विश्वविद्यालय परीक्षा में लिये हों।
  - ii. विश्वविद्यालय की टी.डी.सी. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में लिये गये विषय जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा, सामान्य पर्यावरण, सामाजिक कार्य, प्रारम्भिक कम्प्यूटर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास अथवा प्रारम्भिक गणित, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) और योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसी) शिक्षण विषय के रूप में मान्य नहीं होंगे। कला एवं विज्ञान ऑनर्स पद्धति से डिग्रीधारकों के वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त यदि उसी संकाय का कोई विषय दो वर्षों या अधिक लगातार पढ़कर विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह विषय शिक्षण विषय के रूप में मान्य होंगे।
  - iii. बीएड परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण विषय लेने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने स्नातक डिग्री में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र में से कम से कम दो विषय अथवा समाजशास्त्र से उत्तीर्ण की हो।
  - iv. कृषि स्नातकों के अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय चुन सकते हैं तथा बी. एससी गृह विज्ञान डिग्री धारक अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय चुन सकते हैं।
  - v. जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय का अध्ययन किया है वे नागरिक शास्त्र को शैक्षणिक विषय के रूप में चुन सकते हैं।

## योग्यता नियमों पर स्पष्टीकरण

1. पी.टी.ई.टी.-2026 मेरिट हेतु अभ्यर्थी की स्नातक स्तर की संकाय को ही आधार माना जायेगा। भिन्न संकाय की स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को संकाय अथवा शिक्षण विषय चुनने का अधिकार नहीं होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारित है तो वह उस संकाय में पी. जी. विषयों के आधार पर शिक्षण विषय का चुनाव कर सकेगा।
3. वाणिज्य संकाय के स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं चुन सकते हैं।
4. ऐसे अभ्यर्थी को पी.टी.ई.टी.-2026 परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो दो शैक्षणिक विषय चुनने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं है।
5. जो अभ्यर्थी पी.टी.ई.टी.-2026 के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अन्तिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं हैं वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
6. अयोग्य अभ्यर्थी को मात्र शुल्क जमा कराने के आधार पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा।
7. ऑनर्स डिग्री धारक अभ्यर्थी जिन्होंने वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त कोई विषय दो वर्ष तक नहीं पढ़ा है तो वह उन विषयों को शैक्षणिक विषय के रूप में नहीं चुन सकता है।

### अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम

- i. अभ्यर्थी को पीटीईटी में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जाती है। पीटीईटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम पर है।
- ii. पीटीईटी परीक्षा की मेरिट में यदि अभ्यर्थी का चयन हो भी जाता है तब भी अपात्र/अयोग्य पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं शुल्क भी लौटाया नहीं जायेगा।
- iii. अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे।
- iv. किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नहीं रखना या आवेदन-पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण-पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑन-लाइन आवेदन-पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना / तथ्य अंकित करना "दुराचरण" माना जायेगा और परिणामस्वरूप ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- v. पीटीईटी प्रवेश परीक्षा शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नहीं (Non-refundable) है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए।

## आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन – ऑनलाइन आवेदन द्वारा हमारी अधिकृत वेबसाईट : ptetvmoukota2026.in के माध्यम से किये जा सकेंगे।
- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई – मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते है एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते है।
- अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते है। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई के जरिये किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कोपी प्रिंट कर सकेंगे।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे, कार्यालय को हार्ड कोपी प्रेषित ना करें। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र / ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट ले तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कोपी अपने पास संभाल कर रखे, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो इस के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल (Refundable) नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पूर्ण पात्रता रखते है, केवल वे ही आवेदन करे।
- अभ्यर्थी वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढकर ही आवेदन करे।
- ऑन-लाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक, आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑन-लाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा-10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें।
- अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाईल नम्बर, ई मेल में कोई संशोधन है तो सही कर लेवें।
- आवेदन पत्र में अपलोड किये जाने वाला पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो (दाढ़ी में / क्लीन शेव) लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तब अंतिम भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा एवं उसी आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। दो या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फार्म निरस्त किये जा सकते हैं।
- आवेदक अपना ऑन-लाइन आवेदन-पत्र भरते समय अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। तत्पश्चात ही सबमिट (SUBMIT) बटन दबाएँ। प्रविष्टियों के सही होने के सम्बन्ध में ई-मित्र संचालक, साइबर कैफे, कियोस्क कंप्यूटर एजेन्सी या कम्प्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें अर्थात स्वयं भली-भांति सत्यापन कर लें। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली-भांति जांच कर लेवें

कि इसमें रही त्रुटि / त्रुटियों में संशोधन कर लें अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं।

- अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो (अधिकतम 100 KB), अंगूठा निशानी (अधिकतम 100 KB) और हस्ताक्षर (अधिकतम 100 KB) अलग – अलग JPG/JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर लें। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब केटेगरी (विधवा / तलाकशुदा / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक / टाडा सहरिया इत्यादि) प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें।
- वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित व सम्भाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात् काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा।
- ऑन लाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख-रेख में सावधानी पूर्वक भरवाएँ। आवेदन-पत्र किसी अन्य जरिये, जैसे – ई- मित्र, साइबर कैफे, ऑपरेटर आदि, द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण-पत्रों के अनुसार आवेदन-पत्र में सावधानी पूर्वक जाँचने के पश्चात ही फॉर्म सबमिट करे।
- परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गयी है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। केन्द्र आवंटन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
- प्रवेश पत्र केवल वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर ही उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट कर के परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।
- ऑन लाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध हेल्प लाइन नम्बर 9116828238 पर 08:00 AM से 08:00 PM तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही अभ्यर्थी दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनमें शारीरिक दोष/अक्षमता हो जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डालें जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्णरूप से बहरा होना दोनों हाथों का नहीं होना जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके दोनों पैरों का नहीं होना, जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे।
- सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार द्वारा पी.टी.ई.टी.-2026 में आरक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे, जिसकी जानकारी समय-समय पर अधिकृत वेब साइट से प्राप्त की जा सकेगी।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / टाडा/ सहरिया के प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण-पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास/ विशेष मूल निवास का प्रमाण-पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा।

- आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवासी (बोनाफाइड) / विशेष मूल निवास होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम.) के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो।
- राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण देय नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा (OBC) वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (SBC/MBC) आदि के सम्बन्ध में जारी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमीलेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 03 वर्ष तक ही किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा।
- विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र, जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी के तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।
- आवश्यक प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए अन्यथा मान्य नहीं होंगे।
- सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेंगी।
- प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।
- अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/ संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे में समन्वयक एजेन्सी द्वारा पी.टी.ई.टी.-2026 प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के पी.टी.ई.टी.-2026 प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- भूतपूर्व सैनिकों एवं रक्षा आश्रितों (Defence: ARMY, NAVY, AIRFORCE) हेतु सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। B.S.F, C.R.P.F. सीमावर्ती बलों एवं अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।
- नोट- उपर्युक्त निर्देशों में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों, अर्हताओं, योग्यताओं एवं नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विधि सम्मत प्रक्रिया/माननीय न्यायालय के आदिनांक निर्णयों से पूर्ण/आंशिक विभेद होने पर इन्हें अन्तिम नहीं माना जाएगा। विभिन्न तिथियों में सार्वजनिक हित में शासन द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के अनुसार परिवर्तन सम्भव है तथा ऐसे किसी अपरिहार्य परिवर्तन/ संशोधन / संवर्धन को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसी समस्त सूचनाएँ हमारी वेबसाइट [ptetvmoukota2026.in](http://ptetvmoukota2026.in) पर अपडेट कर दी जायेंगी।

## पी.टी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन

1. अभ्यर्थी परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चुन सकता है जिस माध्यम का चुनाव किया जायेगा प्रश्न पत्र केवल उसी माध्यम के उपलब्ध होंगे। अतः फॉर्म भरते हुए अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह किस माध्यम से परीक्षा देने में सुविधाजनक है।
2. पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे तथा प्रश्न-पत्र में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे एवं परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी।
  - I. मेन्टल एबिलिटी मानसिक योग्यता अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता (ii) सादृश्य एवं भिन्नता (iii) दृश्य एवं स्थानिक क्षमता (iv) संकल्पना एवं संबंध (v) संख्यात्मक तर्क (vi) निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान आदि।
  - II. **टीचिंग एटीट्यूड एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट:** शिक्षण मनोवृत्ति और योग्यता परीक्षण अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 प्रश्न शामिल होंगे: (i) सामाजिक परिपक्वता, (ii) नेतृत्व, (iii) व्यावसायिक प्रतिबद्धता, (iv) पारस्परिक संबंध (v) संचार, (vi) जागरूकता आदि। यह दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर 3, 2, 1 और 0 के पैमाने पर दिए जाएंगे।
  - III. **जनरल अवेयरनेस:** सामान्य जागरूकता अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) करंट अफेयर्स (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), (ii) भारतीय इतिहास और संस्कृति, (iii) भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन। (iv) महान भारतीय व्यक्तित्व (अतीत और वर्तमान), (v) पर्यावरण जागरूकता, (vi) राजस्थान के बारे में ज्ञान, आदि।
  - IV. **लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) (Language Proficiency (Hindi or English)):** भाषा प्रवीणता (अंग्रेजी या हिंदी) अनुभाग में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दक्षता के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) शब्दावली, (ii) कार्यात्मक व्याकरण, (iii) वाक्य संरचनाएं (iv) समझ, आदि।
3. प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे।
4. लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग को छोड़कर शेष प्रश्न पत्र अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई भाषा में होगा।
5. प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा एवं सम्पूर्ण प्रश्नपत्र 600 अंकों का होगा।
6. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। टीचिंग एटीट्यूड एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा अर्थात् प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा।
7. प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में काले/नीले बॉलपेन से पूरे गोले को गहरा काला/नीला करना है। निशान गहरा काला/नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला/नीला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है। **सही गोला करने का उदाहरण**



दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला/नीला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर-उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला/नीला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए अलग से स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा। **परीक्षा उपरान्त प्रश्न-पत्र पुनः जमा नहीं करवाना है। ओ.एम.आर.की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।**

8. टेस्ट बुकलेट विभिन्न संघर्षों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक उत्तर-पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला/नीला करें।
9. अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीटीईटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
10. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट हेतु जन्मतिथि को आधार माना जायेगा एवं उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्च वरीयता में माना जायेगा।
11. प्रवेश-पत्र पी.टी.ई.टी.-2026 की वेबसाइट पर ही परीक्षा तिथि से पांच दिन पूर्व उपलब्ध होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रिंट लेकर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि एवं समय पर पहुँचना है। अभ्यर्थी को इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं प्रेषित की जायेगी।
12. पीटीईटी के उत्तर पत्रक की रिस्केनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रु. 300/- (रूपये तीन सौ मात्र) शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है।
13. मूल उत्तर-पत्रक (ओरिजिनल ओ. एम. आर) किसी भी सूरत में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदन-पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन सबमिट करें एवं परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान कर उसका प्रिंट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपने पास रखे जिसे काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन-पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।
15. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है।  
**अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।**
16. इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।

17. पीटीईटी आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें -
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति
  - अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में रखें :-  
**10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर**
  - जाति प्रमाण-पत्र
  - दिव्यांगता / सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
  - EWS प्रमाण-पत्र
  - मूल निवास प्रमाण-पत्र/ विशेष मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि
  - अपार/ABC ID

**नोट:** उपरोक्त दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें काउंसलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

19. न्यायालय में दायर सभीवादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के बी. एड महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।
20. पी.टी.ई.टी.-2026 की परीक्षा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की याचिका संख्या 6237/2014 और 10054/2015 द्वारा पारित निर्णय की पालना की जायेगी।
21. पी.टी.ई.टी.-2026 में सम्मिलित एवं पंजीयन करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भर दिए गए विकल्पों के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय आवंटित किया जाता है।
22. सम्पूर्ण प्रक्रिया उपरान्त स्वीकृत सीट से कम प्रवेश के लिए आयोजक विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा। किसी महाविद्यालय द्वारा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त सीट पर प्रवेश के वाद प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार है।

### परिणाम की घोषणा

- सभी अभ्यर्थियों का परिणाम पीटीईटी की वेबसाइट [www.ptetvmoukota2026.in](http://www.ptetvmoukota2026.in) पर जारी किया जायेगा। बी. एड में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन की स्थिति की जानकारी वेबसाइट पर उनके परिणाम के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। पीटीईटी का परीक्षा परिणाम वेबसाइट से देखा/प्रिन्ट लिया जा सकता है। बी.एड में प्रवेश के लिए परिणाम/काउंसलिंग/चयन के बारे में कोई जानकारी मेल/ एस एम एस /डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी नियमित रूप से पीटीईटी की वेबसाइट [www.ptetvmoukota2026.in](http://www.ptetvmoukota2026.in) का अवलोकन करते रहें।

2. परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा के बाद छह माह तक सुरक्षित रखा जायेगा. इसके बाद सामग्री का निस्तारण किया जाएगा।
3. परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का साथ में लाना पूर्णतया वर्जित है।

